भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *338
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

प्रचालनरत फास्ट ट्रैक न्यायालय

***338. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना संबंधी, परियोजना, इनके माध्यम से मामलों के त्वरित निपटान के बारे में हाल ही के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफटीसी की कुल अनुशंसित संख्या में से प्रचालनरत एफटीसी के औसत कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है तथा अनुशंसित संख्या में एवं और अधिक संख्या में एफटीसी की स्थापना में विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ख) हाल ही में वित्त आयोग में की गई परिकल्पना के अनुसार राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों को आवंटित निधियों का हिस्सा कितना-कितना है;

(ग) उक्त राज्यों में न्याय मित्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और मामलों के बैकलॉग की स्थिति से बचने के लिए एफटीसी द्वारा मामलों के समयबद्ध निपटान हेतु विद्यमान सख्त निगरानी तंत्र क्या है;

(घ) निःशुल्क विधिक सेवा योजना के अंतर्गत न्याय बंधु कार्यक्रम की राज्य-वार प्रगति रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) अदालती कार्यवाहियों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग तंत्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड़) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड़) उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : फास्ट ट्रैक न्यायालय

फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना और निधियों का आबंटन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालय स्थापित करते हैं। 14वें वित्त आयोग (2015-2020) ने महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, टर्मिनल रोग से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित दीर्घकाल से लंबित मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों के निपटान के लिए 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी । इसने राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए बढ़े हुए कर न्यागम (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2023 तक 843 फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रचालित हैं ।

इन एफटीसी द्वारा मामलों के निपटान का ब्यौरा इस प्रकार है:

2020	2021	2022	2023 (30 जून, 2023 तक)	कुल
2,39,956	4,05,168	5,33,229	6,53,699	18,32,052

एफटीसी के कार्यात्मकता के लिए अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने राज्य के बजट से आंवटित निधियों की जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । फास्ट ट्रैक न्यायालयों के प्रदर्शन की निगरानी संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है ।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचालित एफटीसी की स्थिति इस प्रकार है:

राज्य	प्रचालित एफटीसी की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या				
		2020	2021	2022	2023 (30 जून, 2023 तक)	कुल
राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छत्तीसगढ़	23	2877	5324	4158	1519	13878

फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीएस) के अतिरिक्त, न्याय विभाग बलात्संग और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित विचारण और निपटान के लिए 389 विशेष पाक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय (एफटीएस) स्थापित करने की स्कीम क्रियान्यवित कर रहा है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून, 2023 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक एफटीएससी की संख्या **उपाबंध**-1 पर दी गई है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान के लिए 30 ईपाक्सो न्यायालयों सहित 45 एफटीएससी और छत्तीसगढ़ के लिए 11 ईपाक्सो न्यायालयों सहित 15 एफटीएससी सम्मिलित हैं । 2020-21 से 2023-24 (जून, 2023 तक) के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ को केंद्रीय भागीदारी जारी करने के संबंधी जानकारी **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

स्कीम के कुशल कार्यान्वयन के लिए, न्याय विभाग राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित पुनर्विलोकन बैठकें आयोजित कर रहा है । शेष एफटीएससी के प्रचालन के लिए विधि और न्याय मंत्री द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा गया है ।

प्रभावी निगरानी और डाटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत जानकारी एकत्रित करने और एफटीएससी के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है । एफटीएससी का प्रदर्शन भी अंतर-राज्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में एक स्थायी मद है ।

(ग) न्याय मित्र

न्याय विभाग ने न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2017 में न्याय मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया । इसका लक्ष्य 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों के निपटान की सुविधा प्रदान करना था जिसके अन्तर्गत वैवाहिक, दुर्घटना दावा मामले जैसे सिविल मामले और उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले भी सम्मिलित थे । न्याय मित्र कार्यक्रम की शुरुआत से, असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों की विभिन्न जिला न्यायालयों में कुल 39 न्याय मित्र अवस्थित किए गए थे । कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालयों को बंद होने और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल के कारण वर्ष 2020-2021 के दौरान किसी भी न्याय मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सका ।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में न्याय मित्र कार्यक्रम का पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया गया। सिफारिशों के आधार पर और इसके कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर विचार करने पर, यह संप्रेक्षण किया गया कि न्याय मित्र कार्यक्रम पुराने लंबित मामलों के निपटान की सुविधा के अपने परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका । अतः, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान न्याय मित्र कार्यक्रम को जारी नहीं रखने का विनिश्चय किया गया है ।

(घ) न्याय बंधु

सरकार ने प्रो बोनो की संस्कृति को आगे बढ़ाने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2017 में न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) शुभारंभ किया । न्याय बंधु सेवा का लक्ष्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार व्यक्तियों को जोड़ना है । 31 जुलाई, 2023 तक, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिज्ञ परिषदों के माध्यम से देश भर में 10298 प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है । प्रो बोनो अधिवक्ताओं से संबंधित डाटा राज्य विधिज परिषद् -वार (**उपाबंध**-'3') रखा जाता है । अब तक, 1882 फायदाग्राहियों ने प्रो बोनो वकील (**उपाबंध**-'4') की सेवा प्राप्त करने के लिए न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन पर रजिस्ट्रीकरण कराया है ।

न्याय बंधु कार्यक्रम के भाग के रूप में, न्याय विभाग ने 2020 में प्रो बोनो क्लब स्कीम नामक एक नया उप-मॉड्यूल की पहल की है । इस स्कीम का लक्ष्य युवा विधिक व्यवसायियों के मन में प्रो बोनो विधिक सेवाओं की संस्कृति को बैठाना है । 2020 से 89 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब का गठन किया गया है। इन विधि स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे प्रो बोनो क्लबों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। इसमें मोटे तौर पर वकीलों को प्रो बोनो मुकदमेबाजी सहायता प्रदान करना, पूरे वर्ष प्रो बोनो सेवाओं के लिए निश्चित संख्या में घंटे समर्पित करना, आसपास के गांवों में सामुदायिक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करना, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण कार्य करना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित है ।

(ङ) न्यायालय मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग

न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग एक प्रशासनिक मामला है जो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र और अधिकारक्षेत्र में आता है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । तथापि, गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, जिससे वस्तुतः कार्यवाहियों से जुड़ने के लिए वकीलों, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षों को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई है ।

****

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा (30.06.2023 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/सं. रा. क्षे.	निर्धारित न्यायालय		कार्यात्मक न्यायालय		स्कीम के आरंभ से संचयी निपटान		
		ई पाक्सो सहित एफटीएससी	ई पाक्सो	ई पाक्सो सहित एफटीएससी	ई पाक्सो	एफटीएससी	ई पाक्सो	कुल
1	**छत्तीसगढ**	**15**	**11**	**15**	**11**	**566**	**3053**	**3619**
2	गुजरात	35	24	35	24	1680	6775	8455
3	मिजोरम	3	1	3	1	98	34	132
4	नागालैंड	1	0	1	0	48	3	51
5	झारखंड	22	8	22	16	1702	3135	4837
6	मध्य प्रदेश	67	26	67	57	2933	16484	19417
7	मणिपुर	2	0	2	0	96	0	96
8	हरियाणा	16	12	16	12	1125	3084	4209
9	चंडीगढ़	1	0	1	0	174	0	174
10	**राजस्थान**	**45**	**26**	**45**	**30**	**3239**	**7290**	**10529**
11	तमिलनाडु	14	14	14	14	0	5316	5316
12	त्रिपुरा	3	1	**3**	1	116	137	253
13	उत्तर प्रदेश	218	74	218	74	23783	21767	45550
14	उत्तराखंड	4	4	4	0	1164	0	1164
15	दिल्ली	16	11	16	11	351	722	1073
16	मेघालय	5	5	5	5	0	299	299
17	जम्मू-कश्मीर	4	0	**4**	2	63	63	126
18	पंजाब	12	2	12	3	1247	1521	2768
19	हिमाचल प्रदेश	6	3	6	3	200	586	786
20	कर्नाटक	31	17	31	17	2114	4927	7041
21	तेलंगाना	36	10	36	0	4182	2731	6913
22	पुदुचेरी	0	0	1	1	0	0	0
23	आंध्र प्रदेश	18	8	16	16	0	2897	2897
24	असम	27	15	17	17	0	3783	3783
25	बिहार	54	30	46	46	0	7835	7835
26	गोवा	2	0	1	1	0	30	30
27	केरल	56	14	53	14	9247	4142	13389
28	महाराष्ट्र	138	30	34	13	5948	9207	15155
29	ओडिशा	45	22	39	23	2898	5654	8552
	कुल	**1023**	**389**	**763**	**412**	**62974**	**111475**	**174449**

उपाबंध-2

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।						
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए जारी की गई राशि (एफटीएस) **(करोड़ रुपये में)**						
क्र.सं.	**राज्य /सं.रा.क्षे.**	**वि.व. 2019-20 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2020-21 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2021-22 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2022-23 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2023-24 (जून, 2023 तक) में जारी की गई राशि**
1	छत्तीसगढ़	3.375	3.375	4.259	3.93	1.488375
2	राजस्थान	5.85	14.4	19.745	11.895	13.83263

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

देश भर में न्याय बंधु स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं की संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिज्ञ परिषद् -वार एक विवरण ।
(2017-2023)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिज्ञ परिषद्	अधिवक्ताओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	651
2	असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	264
3	बिहार	594
4	छत्तीसगढ़	340
5	दिल्ली	827
6	गुजरात	188
7	हिमाचल प्रदेश	382
8	जम्मू-कश्मीर	144
9	झारखंड	329
10	कर्नाटक	284
11	केरल	147
12	मध्य प्रदेश	608
13	महाराष्ट्र और गोवा	535
14	मणिपुर	55
15	मेघालय	48
16	ओडिशा	283
17	पंजाब और हरियाणा	1960
18	राजस्थान	1116
19	तमिलनाडु	369
20	तेलंगाना	185
21	त्रिपुरा	6
22	उत्तर प्रदेश	651
23	उत्तराखंड	154
24	पश्चिमी बंगाल	157
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15
26	दादरा एवं नागर हवेली	1
27	दमण और दीव	5
	कुल योग	**10298**

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या* 338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

देश भर में न्याय बंधु स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों की संख्या अंतर्विष्ट करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (2017-2023)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	फायदाग्राहियों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4
2	आंध्र प्रदेश	94
3	असम	16
4	बिहार	95
5	चंडीगढ़	7
6	छत्तीसगढ	23
7	दिल्ली	146
8	गोवा	4
9	गुजरात	53
10	हरियाणा	54
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू-कश्मीर	7
13	झारखंड	43
14	कर्नाटक	77
15	केरल	16
16	मध्य प्रदेश	65
17	महाराष्ट्र	352
18	मणिपुर	10
19	ओडिशा	113
20	पुदुचेरी	1
21	पंजाब	29
22	राजस्थान	56
23	सिक्किम	3
24	तमिलनाडु	32
25	तेलंगाना	87
26	त्रिपुरा	4
27	उत्तर प्रदेश	285
28	उत्तराखंड	24
29	पश्चिमी बंगाल	171
30	नागालैंड	1
31	मिजोरम	1
32	अरुणाचल प्रदेश	0
33	लक्षद्वीप	0
34	दादरा एवं नागर हवेली	0
35	दमण और दीव	0
36	मेघालय	1
	कुल	**1882**